



प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

विशेष सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक 17 जुलाई, 2026

विषय:-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत करगरा से अलउस सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या-3.524 किमी० से 13.027 किमी० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कैमूर वन जीव विहार एवं इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत एनीमल पैसेज प्लान तैयार किये जाने हेतु स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-714/एफ-31(2)/यूपीआरआरडीए/2026-27, दिनांक 08.06.2026 एवं पत्र संख्या-106/एफ-31(2)/यूपीआरआरडीए/2026-27, दिनांक 15.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से शासनादेश संख्या-04/2026/पी-154/001-38-9022-002-7-2022, दिनांक 26.03.2026 द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अन्तर्गत स्वीकृत करगरा से अलउस सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या-3.524 किमी० से 13.027 किमी० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कैमूर वन जीव विहार एवं इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत एनीमल पैसेज प्लान तैयार किये जाने हेतु डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि ₹0 18.17 लाख (रूपये अट्ठारह लाख सत्रह हजार मात्र) का भुगतान पी०आई०यू० द्वारा ओ०एम०एम०ए०एस० के माध्यम से एस०एन०ए० स्पर्श व्यवस्था के अन्तर्गत तकनीकी कारणों से वित्तीय वर्ष 2025-26 में सम्पन्न नहीं होने के दृष्टिगत पुनः उक्त धनराशि ₹0 18.17 लाख की स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-04/2026/पी-154/001-38-9022-002-7-2022, दिनांक 26.03.2026 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹0 18.17 लाख (रूपये अट्ठारह लाख सत्रह हजार मात्र) का भुगतान न होने के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 26.03.2026 को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रोग्राम फण्ड से जनपद सोनभद्र में करगरा से अलउस सम्पर्क मार्ग के चैनेज संख्या-3.524 किमी० से 13.027 किमी० तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य हेतु कैमूर वन जीव विहार एवं इको सेन्सिटिव जोन के अन्तर्गत एनीमल पैसेज प्लान तैयार किये जाने हेतु डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड साइंस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन धनराशि ₹0 18.17 लाख (रूपये अट्ठारह लाख सत्रह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदया द्वारा निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ इस बात का ध्यान रखें कि धनराशि स्वीकृत कर सीधे संबंधित विभाग/संस्था के बैंक खाते में अंतरित की जायेगी।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली गयी है तथा निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि निर्विवाद रूप से उपलब्ध है। तदोपरांत ही अनुमोदित लागत के सापेक्ष ही निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि का आहरण किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत आहरण/व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
 6. योजनांतर्गत किसी कार्य को प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेंस अपेक्षित होने पर सक्षम स्तर से अनापति प्राप्त कर लिया जायेगा।
 7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।
 8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
 9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का वस्तुतः जिन मदों हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्ही मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में किया जाना वाला व्यय अनुमन्य न होगा।
 10. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ का होगा।
 11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजनान्तर्गत निर्धारित गाइडलाइन्स/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
 12. धनराशि के आहरण के सम्बन्ध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 13. स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 व अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,17,000 (रुपये अठारह लाख सत्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 013 लेखा शीर्षक 5054043370201** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद 24** वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न **अशासकीय संख्या-E-2-47-X-2026-27-दिनांक: 13-7-2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-13/2026/पी-360/003-38-9002-002-7-2022, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
- 3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 4- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 5- वित्त नियंत्रक, उ०प्र० ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 8- नोडल अधिकारी/उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र० शासन को इस वित्तीय स्वीकृति को उ०प्र० बजट एलाटमेंट सिस्टम के माध्यम से ऑनलाइन निर्गत किये जाने तथा ऑनलाइन बजट एलाटमेंट सिस्टम में प्रविष्टि करने हेतु।
- 9- ग्राम्य विकास अनुभाग-8, उ०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

योगेश चन्द्र दीक्षित
अनु सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।